न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 291 सन 2018

अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश 3 रामकरण 4 सुशीला पि0 सुरजाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 281/28 के खसरा न0 55/2 की 0.5060हैक , खसरा न0 57/1 की 3.6305हैक खसरा न0 215/3 की 1.8216हैक खसरा न0 547/81 की 45.21255हैक कुल किता 4 की 10.1700हैक भूमि जिसके प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा तारू पुत्र डुगर के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र पर औद हुई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में

का 1.8216 हक्ट ख0न0 547/81 का 4.2125 हक्ट कुल 4 किता का 10.1700 हक्ट भूमि स्थित है। जिसका प्रतिवादी स0 1 के खातेदार काश्तकार है। यही बिनाय दावा है।

Web Copy - Not Official

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने कहा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 281/28 के खसरा न0 55/2 की 0.506हैक , खसरा न0 57/1 की 3.6305हैक , खसरा न0 215/3 की 1.8216हैक , खसरा न0 547/81 की 4.2125हैक कुल किता 4 की 10.1700हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एवं पतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। बैक ऋण यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official